

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), वन भवन, तुलसी नगर, म.प्र., भोपाल

क्रमांक / F-1/824/2021/10-11/ 5932
प्रति,

भोपाल, दिनांक 13-12-24

वन महानिरीक्षक (एफ.सी.)
भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
इंदिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोरबाग रोड़, नई दिल्ली-110003

विषय:- वन मंडल दक्षिण शहडोल के परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम बण्डीखुर्द के वन कक्ष RF-834 के रकबा 36.734 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन व्यपवर्तन का मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लि. का ऑनलाईन प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/29264/2017

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल का पत्र क्र. 8-196/1984-FC (Vol.) दिनांक 16.08.2024

---0---

विषयांकित परियोजना के संबंध में भारत सरकार के उक्त संदर्भित पत्र द्वारा चाही गई बिन्दुवार जानकारी संबंधितों से प्राप्त कर निम्नानुसार प्रेषित है:-

बिन्दु क्र.	चाही गई जानकारी	प्रेषित जानकारी
i	Interpretation through satellite imagery of KML file of 3.296 ha diverted forest land for surface rights revealed that the user agency is utilizing the forest area beyond 3.296 ha as earlier approved for surface rights. The State Govt. shall carry out the field inspection and shall submit a detail report including violation, if any.	भारत सरकार द्वारा कुल व्यपवर्तित वनक्षेत्र 513.296 हेक्टेयर में ही प्रश्नाधीन 3.296 हेक्टेयर वनक्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें अनुमोदित माईनिंग प्लान के अनुसार ही उपसंगीय निर्माण (Sub Area Office, fan house, service building, incline) आदि निर्मित है।
ii	The KML file of 3.296 ha Non-forest land for CA which was proposed against surface utilization has not submitted which needs submission.	वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित 3.296 हेक्टेयर गैर वनभूमि की KML फाईल ऑनलाईन भाग-1 के अतिरिक्त कॉलम नं.-14 में KML फाईल की लिंक दी गई है, जो प्रदर्शित हो रही है।
iii	The State Govt. has informed that the 38.302 ha forest land is part of 403.118 ha diverted forest land vide Ministry letter No. 8-125/85-FC Date 13.04.1987 and presently proposed 36.734 ha forest land is part of 513.296 ha diverted forest land vide Ministry letter No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986. Therefore the complete KML file of the lease/Project area shall be submitted.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी प्रस्तुत की गई है कि खदान के विस्तारीकरण के लिये वर्णित कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर में 38.302 हेक्टेयर वनभूमि भारत सरकार के पत्र क्रमांक 8-132/85-fc दिनांक 13.04.1987 के द्वारा स्वीकृत वनभूमि 403.118 हेक्टेयर का अंशभाग है, लेकिन खदान के विस्तारीकरण के लिये प्रस्तावित 36.734 हेक्टेयर वनभूमि 513.296 हेक्टेयर का हिस्सा नहीं है, बल्कि 513.296 हेक्टेयर वनभूमि से लगा हुआ है, जिसके व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया गया है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर है।
iv	The State Govt. has informed that the total area of the project is 514.481 ha. Out of which 488.108 ha is forest land and 26.373 ha is Govt Revenue land/ Private land. Whereas based upon the details submitted by the State Govt. the project area works out to be 942.787 ha. Out of which 916.414 ha is diverted forest land (513.296 ha approved vide Ministry letter	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा जानकारी दी गई है कि - 1. परियोजना खदान की सीमा का कुल क्षेत्रफल मात्र 488.108 हेक्टेयर है तथा परियोजना के बाहर निजी भूमि 26.373 हेक्टेयर में उपसंगीय निर्माण परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़कर खनन योजना में वन एवं गैर वनभूमि (488.108 + 26.376) कुल 514.481 हेक्टेयर लेख किया गया

No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986 & 403.118 ha approved vide Ministry letter No 8-125/85-FC Date 13.04.1987) and 26.373 ha is Govt Revenue land/ Private land. Therefore, variation among the project area has been observed which needs clarification.

है। परियोजना (खदान की सीमा) का कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.	रकबा (हेक्टे. में)	वैधानिक स्वरूप	विशेष अभियुक्ति	
i	315.347 (513.296 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	399.545 हेक्टेयर
ii	38.302 (403.118 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	
iii	36.734	वन (आरक्षित)	प्रस्तावित	
iv	9.162	वन (आरक्षित)	अव्यपवर्तित / आवश्यक नहीं	
v	47.934	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	88.563 हेक्टेयर
vi	0.848	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	
vii	0.879	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं / आवश्यक नहीं	
viii	20.432	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	
ix	18.470	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	
कुल-	488.108		कुल-	488.108 हेक्टेयर

इस प्रकार वास्तविक क्षेत्रफल 488.039 हेक्टेयर के स्थान पर 488.108 हेक्टेयर पढ़ा जावे।

व्यपवर्तित 513.296 हेक्टेयर वनभूमि में से 315.347 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर है तथा खदान के विस्तारीकरण हेतु 36.734 हेक्टेयर वनभूमि प्रस्तावित है।

2. क्रमांक-1 में वर्णित 315.347 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तित वनभूमि 513.296 हेक्टेयर का भाग है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर है। उक्त 315.347 हेक्टेयर वनभूमि में से 3.296 हेक्टेयर वनभूमि का उपयोग उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु किया गया है।


3. परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के अंदर ही 36.734 हेक्टेयर वनभूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।

4. 26.373 हेक्टेयर निजी भूमि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हेक्टेयर के बाहर है, जिसमें

		उपसंगीय निर्माण कार्य परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़कर खनन योजना में वन एवं गैर वनभूमि (488.108 हेक्टेयर + 26.373 हेक्टेयर) कुल 514.481 हेक्टेयर लेख किया गया है।
v	The State Govt. may re-check the KML file of 38.302 ha diverted forest land (part of 403.118 ha approved forest land) as some of the areas of the approved forest land (38.302 ha) is still overlapping with the KML file area of 20.432 ha Non-forest land.	इस बिन्दु के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि गैर वनभूमि 20.432 हेक्टेयर तथा उपखण्ड 38: 302 हेक्टेयर (व्यपवर्तित 403.118 हेक्टेयर वनभूमि का अंशभाग) की KML फाईल पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। पुनः ऑनलाईन भाग-1 के अतिरिक्त कॉलम नं.-14 में KML फाईल की लिंक दी गई है, जो प्रदर्शित हो रही है।
vi	The Mining plan approved in the year 1995 has been submitted wherein the instant proposed area of 36.734 ha has not been found included. Also the land surrender scheduled has not been mentioned in the said mining plan. The State Govt. shall examine the matter and submit a updated Mining plan along with Progressive mine reclamation/ closure plan.	इस बिन्दु की जानकारी के संबंध में आवेदक संस्था द्वारा लेख किया है कि सी.बी.ए. (ए.एण्ड.डी.) अधिनियम, 1957 के तहत अधिसूचित 1177.585 हेक्टेयर भूमि में से 513.296 हेक्टेयर व्यपवर्तित वनभूमि है तथा 513.296 हेक्टेयर से लगा हुआ प्रस्तावित 36.734 हेक्टेयर वनक्षेत्र एम.सी.आर. 1960 के तहत अधिसूचित/ नवीनीकृत 986.010 हेक्टेयर का हिस्सा है।
vii	The copy of the land use plan in 1:4000 scale was not found legible and accordingly the state was requested to submit a legible copy of the same. The State Govt. has still not submitted the same which needs submission.	इस बिन्दु के पालन में 1:4000 के स्केल में Land use plan की PDF फाईल ऑनलाईन भाग-1 के अतिरिक्त कॉलम नं.-14 में लिंक दी गई है, जो प्रदर्शित हो रही है।
viii	The State Govt. was requested to submit detail/studies to predict the impact of subsidence on vegetation and hydrological regimes in the proposal/project which has not been submitted and same needs submission.	इस बिन्दु के संबंध में वनस्पति और जल विज्ञान व्यवस्था पर तत्समय अवतलन की स्थिति में संयुक्त निरीक्षण पश्चात वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि तथा एन.पी.व्ही. की राशि का भुगतान किये जाने हेतु आवेदक संस्था वचनबद्ध है।

अतः उपरोक्तानुसार प्राप्त जानकारी सहमति सहित संलग्न प्रेषित कर निवेदन है कि प्रकरण में भारत सरकार की आवश्यक अनुमति प्रदान करने का कष्ट करे।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार



(एच.एस. मोहन्ता)

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13-12-24

पृ. क्रमांक/ F-1/824/2021/10-11/ 5933
प्रतिलिपि:-

1. मुख्य वन संरक्षक, शहडोल वृत्त शहडोल मध्य प्रदेश।
2. वन मंडल अधिकारी, सामान्य वन मंडल दक्षिण शहडोल, मध्य प्रदेश।
3. महाप्रबंधक, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सोहागपुर क्षेत्र, पोस्ट धनपुरी जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।
की ओर सूचनार्थ प्रेषित।


अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल

कार्यालय वन वृत्त शहडोल-484001 (मध्यप्रदेश)

PHONE-245361 FAX-240189 E_MAIL- ccf.sdl@mp.gov.in

क्रमांक/माचि/2024/

5940

शहडोल, दिनांक 25-11-2024

प्रति,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
(भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश-भोपाल


विषय - वनमण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्र बुढार के ग्राम-बण्डीखुर्द के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 833 एवं आर.एफ. 834 के रकवा 36.734 हे० वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य का मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/29264/2017

संदर्भ - वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल का पत्र क्र./माचि./2024/2499 दिनांक 08.11.2024

☆☆☆

विषयान्तर्गत निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र दिनांक 16.08.2024 द्वारा प्रकरण में ऑनलाईन के माध्यम से महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर से बिन्दुवार जानकारी चाही गई थी। महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर द्वारा बिन्दुवार जानकारी ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड कर हार्डकॉपी वनमण्डलाधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है।

अतः वांछित जानकारी परिवेश पोर्टल के माध्यम से तथा हार्डकॉपी अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न सम्प्रेषित है।
संलग्न - उपरोक्तानुसार।


(अजय कुमार पाण्डेय)
वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)


पृ.क्रमांक/मा०चि०/2024/


शहडोल दिनांक...../2024

प्रतिलिपि -

1. वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. महाप्रबंधक, एस.ई.सी.एल. सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।




अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल


वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल (म०प्र०)

9-12

SOUTH EASTERN COALFIELDS LIMITED

(A Subsidiary of Coal India Limited) (Maha Ratna Company)

साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड

Office of the General Manager, Sohagpur Area

महाप्रबंधक सोहागपुर क्षेत्र

P.O. Dhanpuri, Distt. Shahdol(M.P.), Pin 484114

Tel : (07652) 250302 Fax : 250882

Regd. Office : Seepat Road, P.B. No.60 Bilaspur -495001 (CG)

Dated : 27/10/2024

शाखा :- MP
दिनांक :- 24/10/24
मु.लि. No. SECL/SGP/SUR/2024/152
व.म.अ.0

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी महोदया

वनमण्डल दक्षिण शहडोल

विषय :- एस.ई.सी.एल. सोहागपुर क्षेत्र के अन्तर्गत बंगवार भूमिगत खदान हेतु 36.734 हे० वन भूमि के व्यपवर्तन बावत।

- संदर्भ :-
- 1). भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र कं./ दिनांक 05.09.2024 (As per Online desired information)
 - 2). कार्यालय वनमण्डलाधिकारी वनमण्डल दक्षिण शहडोल का पत्र कं. मा.चि./ 2024/ 8694 दिनांक 21.10.2024

महोदया

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के द्वारा दिये गये निर्देशानुसार चाही गई जानकारी अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।



भवदीय

280

24/10/24

महाप्रबंधक

एसईसीएल, सोहागपुर क्षेत्र

कार्यालय वन मण्डल अधिकारी दक्षिण वनमण्डल शहडोल
जिला-शहडोल 484001 (मध्यप्रदेश)

फोन (कार्या-240304) (निवास-241443) (फैक्स-240304) ई-मेल- dfotsshahd@mp.gov.in

क्रमांक/मा.चि./2024/ 2499

शहडोल, दिनांक: 08/11/2024

प्रति,

वन संरक्षक
वन वृत्त शहडोल

- विषय:- वनमण्डल दक्षिण शहडोल के वन परिक्षेत्र बुढ़ार के ग्राम-बण्डीखुर्द के वनकक्ष क्रमांक आर.एफ. 833 एवं आर. एफ. 834 के रकवा 36.734 हे. वनभूमि में भूमिगत कोयला उत्खनन कार्य का मेसर्स साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के व्यपवर्तन का प्रस्ताव क्रमांक FP/MP/MIN/29264/2017.
- संदर्भ:- 1- भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र दिनांक 16.08.2024.
2- महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर का पत्र क्रमांक/152 दिनांक 24.10.2024.

-☆☆☆-

निवेदन है कि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली द्वारा प्रकरण में ऑनलाईन के माध्यम से आवेदक संस्थान से बिन्दुवार जानकारी चाही गई है। संदर्भित पत्र क्रमांक-02 से आवेदक संस्थान द्वारा बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक की जानकारी तैयार कर इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

अतः आवेदक संस्थान से प्राप्त बिन्दु क्रमांक 01 से 08 तक की जानकारी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार

(श्रद्धा पट्टे)
वन मण्डल अधिकारी
दक्षिण शहडोल वन मण्डल

पृ0क्रमांक/मा.चि./2024/

शहडोल, दिनांक: /11/2024

प्रतिलिपि:- महाप्रबंधक एस.ई.सी.एल. सोहागपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

शाखा	...
दिनांक	...
अधीक्षक	मु.व.सं.



वनमण्डल अधिकारी
दक्षिण वनमण्डल शहडोल

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली का पत्र क्र. दिनांक 16.08.2024 के अनुसार चाही गई बिन्दुवार जानकारी निम्नानुसार है।

(As per Online desired information)

i	Interpretation through satellite imagery of KML file of 3.296 ha diverted forest land for surface rights revealed that the user agency is utilizing the forest area beyond 3.296 ha as earlier approved for surface rights. The State Govt. shall carry out the field inspection and shall submit a detail report including violation, if any.	भारत सरकार के द्वारा कुल व्यपवर्तित वन क्षेत्र 513.296 हे० में ही प्रश्नाधीन 3.296 हे० वन क्षेत्र सम्मिलित है, जिसमें अनुमोदित माईन प्लान के अनुरूप ही उपसंगीय निर्माण (Sub Area Office, fan house, service building, incline) आदि निर्मित हैं।
ii	The KML file of 3.296 ha Non-forest land for CA which was proposed against surface utilization has not submitted which needs submission.	वन विभाग से सम्बंधित है।
iii	The State Govt. has informed that the 38.302 ha forest land is part of 403.118 ha diverted forest land vide Ministry letter No. 8-125/85-FC Date 13.04.1987 and presently proposed 36.734 ha forest land is part of 513.296 ha diverted forest land vide Ministry letter No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986. Therefore the complete KML file of the lease/Project area shall be submitted.	खदान के विस्तारीकरण के लिये वर्णित कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० में 38.302 हे० वन भूमि भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय नई दिल्ली के पत्र क्र. 8-125/ 85-fc dtd. 13.04.1987 के द्वारा व्यपवर्तित वन भूमि 403.118 हे० का अंशभाग है, लेकिन खदान के विस्तारीकरण के लिये प्रस्तावित 36.734 हे० वन भूमि 513.296 हे० का हिस्सा नहीं है, बल्कि 513.296 हे० वन भूमि से लगा हुआ है, जिसके व्यपवर्तन हेतु आवेदन किया गया है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के अन्दर है।
iv	The State Govt. has informed that the total area of the project is 514.481 ha. Out of which 488.108 ha is forest land and 26.373 ha is Govt Revenue land/ Private land. Whereas based upon the details submitted by the State Govt. the project area works out to be 942.787 ha. Out of which 916.414 ha is diverted forest land (513.296 ha approved vide Ministry letter No 8- 196/1984_Fry (Cons) dated 15.12.1986 & 403.118 ha approved vide Ministry letter No 8-125/85-FC Date 13.04.1987) and 26.373 ha is Govt Revenue land/ Private land. Therefore, variation among the project area has been observed which needs clarification.	1). परियोजना (खदान की सीमा) का कुल क्षेत्रफल मात्र 488.108 हे० है तथा परियोजना के बाहर निजी भूमि 26.373 हे० में उप-संगीय निर्माण कार्य परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़ कर खनन योजना में वन एवं गैर वन भूमि (488.108 + 26.373) कुल 514.481 हे० लेख किया गया है। परियोजना (खदान की सीमा) का कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० का वर्णन निम्नानुसार है।

क्र.	रकबा (हे०में)	वैधानिक स्वरूप	विशेष अभियुक्ति	
(i)	315.347 (513.296 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	399.545 Ha.
(ii)	38.302 (403.118 का भाग)	वन (आरक्षित)	व्यपवर्तित	
(iii)	36.734	वन (आरक्षित)	प्रस्तावित	
(iv)	9.162	वन (आरक्षित)	अव्यपवर्तित/ आवश्यक नहीं	
(v)	47.934	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं/ आवश्यक नहीं	88.563 Ha.
(vi)	0.848	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं/ आवश्यक नहीं	
(vii)	0.879	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत नहीं/ आवश्यक नहीं	
(viii)	20.432	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	
(ix)	18.470	शासकीय + निजी	अधिग्रहीत	
कुल	488.108		कुल	488.108 Ha.

		<p>इस प्रकार वास्तविक क्षेत्रफल 488.039 हे० के स्थान पर 488.108 हे० पढ़ा जावे।</p> <p>व्यपवर्तित 513.296 हे० वन भूमि में से 315.347 हे० वन भूमि का उपयोग किया जा रहा है, जो कि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के अन्दर है तथा खदान के विस्तारीकरण हेतु 36.734 हे० वनभूमि प्रस्तावित है।</p> <p>(2). क. 01 में वर्णित 315.347 हे० वन भूमि, व्यपवर्तित वन भूमि 513.296 हे० का भाग है, जो कि परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के अन्दर है। उक्त 315.347 हे० वनभूमि में से 3.296 हे० वन भूमि का उपयोग उपसंगीय निर्माण कार्य हेतु किया गया है।</p> <p>(3). परियोजना (खदान की सीमा) के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के अन्दर ही 36.734 हे० वन भूमि व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित है।</p> <p>(4). 26.373 हे० निजी भूमि परियोजना के कुल क्षेत्रफल 488.108 हे० के बाहर है, जिसमें उपसंगीय निर्माण कार्य परियोजना के लिये किये गये हैं, जिसे जोड़कर खनन योजना में वन एवं गैर वन भूमि (488.108 हे०+26.373 हे०) कुल 514.481 हे० लेख किया गया है।</p>
v	The State Govt. may re-check the KML file of 38.302 ha diverted forest land (part of 403.118 ha approved forest land) as some of the areas of the approved forest land (38.302 ha) is still overlapping with the KML file area of 20.432 ha Non-forest land.	गैर वन भूमि 20.432 हे० तथा उपखण्ड 38.302 हे० (व्यपवर्तित 403.118 हे० वन भूमि का अंश भाग) की KML file पूर्व में प्रेषित की जा चुकी है। सुलभ संदर्भ हेतु पुनः प्रेषित की जा रही है।
vi	The Mining plan approved in the year 1995 has been submitted wherein the instant proposed area of 36.734 ha has not been found included. Also the land surrender scheduled has not been mentioned in the said mining plan. The State Govt. shall examine the matter and submit a updated Miningplan along with Progressive mine reclamation/ closure plan.	सी.बी.ए. (ए एण्ड डी) अधिनियम 1957 के तहत अधिसूचित 1177.585 हे. भूमि में से 513.296 हे० व्यपवर्तित वन भूमि है तथा 513.296 हे० से लगा हुआ प्रस्तावित 36.734 हे० वन क्षेत्र एम.सी.आर. 1960 के तहत अधिसूचित/ नवीनीकृत 986.010 हे० का हिस्सा है।
vii	The copy of the land use plan in 1:4000 scale was not found legible and accordingly the state was requested to submit a legible copy of the same. The State Govt. has still not submitted the same which needs submission.	1:4000 के स्केल में Land use plan की pdf file ई-मेल के माध्यम से प्रेषित की जा रही है।
viii	The State Govt. was requested to submit detail/studies to predict the impactof subsidence on vegetation and hydrological regimes in the proposal/project which has not been submitted and same needs submission.	वनस्पति और जल विज्ञान व्यवस्था पर तत्समय अवतलन की स्थिति में संयुक्त निरीक्षण पश्चात् वैकल्पिक वृक्षारोपण की राशि तथा शुद्ध वर्तमान मूल्य की राशि का भुगतान किये जाने बावत् आवेदक संस्थान वचनबद्ध है।

D&O
21/05/24

महाप्रबंधक

एसईसीएल, सोहागपुर क्षेत्र

(Handwritten signature)

भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड १(1) में प्रकाशनाथ १
.....

भारत सरकार
कोयला विभाग
.....

नई दिल्ली, तारीख 19-8-1992.

अधिगुवना

काठमांडू केन्द्रीय सरकार ने, कोयला धारक क्षेत्र १ अर्जि और विकलांग अधिनियम, 1957 १957 का 20 की धारा 7 की उपधारा १(1) के अधीन भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उपखंड १(1) तारीख 12 जनवरी, 1991 में प्रकाशित भारत सरकार के ऊर्जा विभाग, कोयला विभाग की अधिगुवना का.आ. सं० 88 तारीख 20 दिसम्बर, 1990 द्वारा उस अधिगुवना से सलग अनुसूची में विनिर्दिष्ट परिक्षेत्र की भूमि में, जिसका माप 2909.812 एकड़ भूभाग या 1177.585 हेक्टर १लगभाग है, के खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों का अर्जि करने के अपने आशय की सूचना दी थी।

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 8 के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

और केन्द्रीय सरकार का पूर्वोक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् और मध्य प्रदेश सरकार से परामर्श करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि इससे सलग अनुसूची में वर्णित 2909.812 एकड़ १लगभाग या 1177.585 हेक्टर १लगभाग माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकारों को अर्जि किए जाने चाहिए।

अतः केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 9 की उपधारा १(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे सलग अनुसूची में वर्णित 2909.812 एकड़ १लगभाग या 1177.585 हेक्टर १लगभाग माप वाली भूमि में खनिजों के खनन, खदान, बोर करने, उनकी खुदाई करने और खनिजों के तलाश करने, उन्हें प्राप्त करने, उन पर कार्य करने और उन्हें ले जाने के अधिकार अर्जि किए जाते हैं।

...../-

इस अधिसूचना के अधीन आने वाले क्षेत्र के 30 एकर से ज़ी एल/बी एस पी/ए सी एम डी/एन डी आर/भूमि/87 तारीख 9 मार्च, 1991 वाले रेकार्ड का निरीक्षण कलक्टर, शहडोल {मध्य प्रदेश} के कार्यालय में या कोषाध्यक्ष नियंत्रक, 1, कार्गिल हाउस स्ट्रीट कलकत्ता के कार्यालय में या अधिमूर्ति, कॉन्फ़ीडरेंस लिमिटेड {राजस्व अनुभाग} सीपत रोड, जिलाशहर-495001 {मध्य प्रदेश} के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुशुची

बंगवार ब्लॉक

सोहागपुर कोथला क्षेत्र

जिला - शहडोल {मध्य प्रदेश}

खन अधिकार

राजस्व भूमि

क्र० सं०	ग्राम का नाम	साधारण सड़िया	पटनारी हलका सड़िया	सहसील	जिला	क्षेत्र हेक्टरों में	टिप्पणियाँ
1.	धनपुरी	474	98	सोहागपुर	शहडोल	120.287	भाग
2.	सरईकापा	940	98	सोहागपुर	शहडोल	31.023	भाग
3.	करकटी	72	99	सोहागपुर	शहडोल	180.016	भाग
4.	देवगवा	458	99	सोहागपुर	शहडोल	11.750	भाग
5.	देवगई	455	60	सोहागपुर	शहडोल	35.739	भाग
6.	बंगवार	683	60	सोहागपुर	शहडोल	200.893	भाग
7.	विम्होरी	724	65	सोहागपुर	शहडोल	84.581	भाग

योग : 664.289 हेक्टर, {लगाभग}

...../-

जन भूमि

क्र० सं०	कम्पाटमेंट सं०	रेंज	प्लॉट	क्षेत्रफल हेक्टरों में	टिप्पणियाँ
1.	60 VII	१पी१	बुद्धर दक्षिणी गहडोल	42.265	भाग
2.	71 XVI	१पी१	बुद्धर दक्षिणी गहडोल	50.380	भाग
3.	72 XVI	१पी१	बुद्धर दक्षिणी गहडोल	148.149	भाग
4.	73 XVI	१पी१	बुद्धर दक्षिणी गहडोल	272.502	भाग

योग : 513.296 हेक्टर कुलभूमि

कुल योग : 1177.585 हेक्टर कुलभूमि
गा 2909.812 एकड़ कुलभूमि

ग्राम धनपुरी १भाग १ में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याएँ

1135 १भाग १, 1139 १भाग १, 1140 १भाग १, 1439 १भाग १, 1443 १भाग १,
1444 १भाग १, 1445 १भाग १, 1447 १भाग १, 1448 १भाग १, 1449 १भाग १,
1450 १भाग १, 1464 १भाग १, 1465 १भाग १, 1466 १भाग १, 1467 १भाग १,
1468 से 1470, 1471 १भाग १, 1472 १भाग १, 1473 से 1478, 1479 १भाग १,
1480 १भाग १, 1481 १भाग १, 1482 १भाग १, 1483 १भाग १, 1484 से 1486,
1487 १भाग १, 1488, 1489 १भाग १, 1490 १भाग १, 1493 १भाग १, 1532 १भाग १,
1533 १भाग १, 1534 १भाग १, 1535 १भाग १, 1536 से 1561, 1563 से 1567,
1568 १भाग १, 1569-1575, 1576 १भाग १, 1577 १भाग १, 1578 १भाग १,
1579 से 1583, 1584 १भाग १, 1722 १भाग १, 1724 १भाग १, 1725,
1726 १भाग १, 1727 १भाग १, 1733 १भाग १, 1734 १भाग १, 1735 से 1742,
1743 १भाग १, 1744, 1745 १भाग १, 1746 १भाग १, 1747 १भाग १, 1748 से
1769, 1772, 1773, 1774, 1775 १भाग १, 1776 १भाग १, 1787 १भाग १,
1788 १भाग १, 1789 से 1800, 1802 १भाग १, 1838 १भाग १, 1967 से 1971.

ग्राम सरखीपा १भाग १ में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याएँ

750 १भाग १, 751, 752, 753 १भाग १, 754 १भाग १, 755 से 758,
759 १भाग १, 760, 761, 778 १भाग १, 779, 780, 781 १भाग १, 782 १भाग १,
783 १भाग १, 844 १भाग १, 845 १भाग १, 846 से 848, 849 १भाग १, 850 १भाग १,
...../-

7. ग्राम विम्होरी भाग में अर्जित किए जाने वाले प्लॉट संख्याक :

33 भाग, 34 से 37, 42 से 48, 49 भाग, 50 भाग, 52 भाग,
60 भाग, 61 भाग, 62 से 70, 71 भाग, 72 भाग, 73, 74,
75 भाग, 76 भाग, 79 भाग, 85 भाग, 86 भाग, 87 से 100,
101 भाग, 102 से 128, 129 भाग, 155 भाग, 156 से 176,
177 भाग, 178, 179, 180 भाग, 101 भाग, 371 भाग, 373 भाग,
374 भाग, 375, 376, 377 भाग, 378 भाग, 379 भाग, 380 से
404, 406 से 425, 520 भाग, 521 से 526, 527 भाग, 548 भाग,
549 भाग, 550, 551, 553, 554 भाग, 555 भाग, 556 भाग,
557 भाग.

सीमा वर्ण :

क - ख

रेखा, ग्राम धनपुरी में बिन्दु "क" से आरम्भ होती है और प्लॉट संख्या 1445, 1444, 1448, 1447, 1471, 1472 से होकर वन कम्पाटमेंट सं० 72 ~~XXVI~~ से होकर जाती है तथा प्लॉट सं० 1838 से होकर वन कम्पाटमेंट सं० 72 ~~XXVI~~ से होकर प्लॉट सं० 1802 से होकर, वन कम्पाटमेंट सं० 72 ~~XXVI~~ से होकर, प्लॉट सं० 1788, 1787, 1776, 1775 से होकर जाती है और बिन्दु "ख" पर मिलती है।

ख - ग

रेखा, ग्राम बीनार में प्लॉट सं० 159, 158, 162 से होकर जाती है और तब वन कम्पाटमेंट सं० 72 ~~XXVI~~, 73 ~~II~~ से होकर जाती है और तब ग्राम विम्होरी में प्रवेश करती है और प्लॉट सं० 85, 86, 101, 75, 79, 75 से होकर जाती है और बिन्दु "ग" पर मिलती है।

ग-गा-घ

रेखा, ग्राम विम्होरी में, प्लॉट सं० 75, 76, 72, 71, 60, 61, 52, 50, 49, 33 से होकर जाती है और तब प्लॉट सं० 49, 36, 37, की तरफ जाती है और प्लॉट संख्या 37, 42, 527 की पूर्ण सीमा से होकर और तब प्लॉट सं० 527, 549, 548 से होकर जाती है और तब प्लॉट सं० 551, 553 की पूर्ण सीमा से और प्लॉट सं० 554, 555, 556, 557 से होकर जाती है और बिन्दु "घ" पर मिलती है।

...../-

घ-घा-उ.

रेखा, प्लॉट सं० 520 से होकर जाती है और प्लॉट सं० 425, 406, 404 की दक्षिणी सीमा से होकर जाती है और तब प्लॉट सं० 371, 373, 374, 377, 378, 379, 381, 385, 129 से होकर और प्लॉट सं० 128, 123, 111, 108 की पश्चिमी सीमा से होकर और प्लॉट सं० 104, 105, 106, 94, 93, 92 की दक्षिणी सीमा से होकर और तब प्लॉट सं० 92, 91, 80, 89 की पश्चिमी सीमा से होकर तब कम्पाटमेंट सं० 73-II से होकर जाती है और ग्राम देवगंवार में प्रवेश करती है और विन्दु "उ" पर मिलती है ।

ई-ई१-ई२-च

रेखा, तब कम्पाटमेंट सं० 73 II, 73 VII से होकर और तब प्लॉट सं० 266, 302, 305, 313 की पूर्वी सीमा से होकर और तब ग्राम देवगंवार के प्लॉट सं० 313, 311, 306, 307, 296, 287, 290, 291, 290, 234 से होकर और तब सं० 3, 50, 60, 61, 59, 62, 63, 70, 74, 75, 76 से होकर ग्राम देवगंवार में जाती है और प्लॉट सं० 39, 40, 77, 74, 73 से होकर ग्राम देवगंवार में प्रवेश करती है और ग्राम देवगंवार में विन्दु "च" पर मिलती है ।

च - छ

रेखा, ग्राम देवगंवार में प्लॉट सं० 69, 72, 71, 42, 44, 43, 33, 32, 31, 30 से होकर जाती है और तब तब कम्पाटमेंट सं० 60 VII से होकर और तत्पश्चात् प्लॉट सं० 20, 21, 22 से होकर जाती है और ग्राम कसकटी में प्रवेश करती है और प्लॉट सं० 760, 757, 756 से होकर जाती है और तब तब कम्पाटमेंट सं० 60 VII से होकर और प्लॉट सं० 355, 360 से होकर और प्लॉट सं० 359 की पश्चिमी सीमा से होकर और प्लॉट सं० 360, 345, 342, 336, 292, 291, 293, 276, 275, 274, 305, 306, 308, 307, 469, 471, 255, 254 से होकर जाती है और विन्दु "छ" पर मिलती है ।

...../-

छ - क

रेखा, ग्राम करकटी में प्लॉट सं० 254, 472, 477, 447, 446, 445, 437, 435, 433, 505, 506, 507, 508, 515, 516, 519, 520, 522, 529, 535, 538, 540, 539 से होकर जाती है और ग्राम सरकापा में प्रवेश करती है और प्लॉट सं० 844, 845, 849, 850, 856, 860, 881, 861, 863, 864, 875, 866, 783, 782, 781, 778, 759, 761, 750 से होकर जाती है और सब ग्राम धनपुरी में प्रवेश करती है और प्लॉट सं० 1747, 1746, 1745, 1743, 1722, 1724, 1727, 1726, 1734, 1733, 1576, 1577, 1578, 1584, 1535, 1534, 1533, 1532, 1487, 1498, 1489, 1490, 1485, 1482, 1481, 1480, 1479, 1135, 1139, 1140, 1467, 1466, 1465, 1464, 1450, 1449, 1439, 1443, 1445 से होकर जाती है और नारसिंह विन्दु "क" पर गिजती है ।

§ नीचे नीचे राव §
अवर सचिव, भारत सरकार
सं० 43015/9/90-एल.एस.उक्तकू.

रेखा में

प्रबंधक इलाहाबादी, भारत सरकार मुख्यालय, सिरी रोड, गांधीपुरी, नई दिल्ली.

मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय

:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 8/3/2019

क्रमांक:- एफ 3-2/2019/12/1 :- मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड द्वारा सोहागपुर एरिया जिला शहडोल के ग्राम बंगवार, सिलपरी, देवहरा एवं बम्हौरी के कुल रकबा 870.757 हेक्टेयर (2151.69 एकड़) क्षेत्र पर खनिपट्टा के नवकरण का आवेदन दिनांक 09.11.2014 को प्रस्तुत किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राप्त नवकरण आवेदन के संबंध में भारत सरकार को खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 8(3) के तहत भारत सरकार को अनुमोदन हेतु दिनांक 29.08.2018 को प्रस्ताव प्रेषित किया गया है।

भारत सरकार द्वारा पत्र क्रमांक 13016/5/2018/पी.सी.ए. दिनांक 26.11.2018 से अनुमोदन प्रदान किया गया। अनुमोदन में खान एवं खनिज (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1957 के नियम 5(2)(बी) के तहत अनुमोदित खनन योजना तथा माईन क्लोजर प्लान / वन अनुमति (यदि आवश्यक हो) तथा पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत करने पर खनिपट्टा के नवकरण में आवंटित करने के निर्देश दिये गये।

आवेदक कंपनी द्वारा पत्र दिनांक 25.12.2018 से माईनिंग प्लान, माईन क्लोजर प्लान तथा भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा प्रदत्त पर्यावरण अनुमति प्रस्तुत की गई।

भारत सरकार द्वारा दिये गये अनुमोदन तथा आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र के आधार पर निम्न शर्तों के अधीन खनिपट्टा नवकरण में स्वीकृत किया जाता है:-

1. आवेदक का नाम मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड
2. खनिज कोयला
3. अवधि 20 वर्ष (दिनांक 28.11.2015 से दिनांक 27.11.2035 तक)
4. क्षेत्र जिला शहडोल,
5. रकबा 870.757 हेक्टेयर (2151.69 एकड़) ग्राम बंगवार, सिलपरी, देवहरा एवं बम्हौरी, सोहागपुर एरिया
6. रॉयल्टी / अनिवार्य भाटक नियमानुसार देय राशि का भुगतान करना होगा।
7. पर्यावरण अनुमति भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जल-वायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा प्रदत्त अनुमति में दर्शित शर्तों का पालन करना होगा।
8. वन संरक्षण इस अधिनियम का पालन करना होगा।
अधिनियम, 1980
9. खनिज बकाया आवेदक के ऊपर कोई खनिज बकाया नहीं होना चाहिये।
10. खनिज नियम खनन हेतु लागू समस्त अधिनियम / नियम का पालन करना होगा।

19.3.19
मध्यप्रदेश शासन
खनिज साधन विभाग
मंत्रालय (म.प्र.)

उपरोक्त शर्तें मान्य होने पर खनि रियायत नियम, 1960 के नियम 31 के तहत निर्धारित प्रारूप में 06 माह की अवधि में नवकरण अनुबंध का निष्पादन किया जायेगा। निष्पादित अनुबंध का नियमानुसार रजिस्ट्री कराया जाना अनिवार्य होगा। अनुबंध निष्पादन के पूर्व यह सुनिश्चित किया जाये कि, आवेदक के ऊपर कोई खनिज राजस्व बकाया न हो।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(राजेश कुमार कौल)
अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग

भोपाल, दिनांक:- 8/3/2019

पृष्ठ क्रमांक:- एफ 3-2/2019/12/1

प्रतिलिपि:-

1. सचिव, भारत सरकार, कोयला मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली की ओर उनके पत्र क्रमांक 13016/5/2018/पी.सी.ए. दिनांक 26.11.2018 के संदर्भ में कृपया सूचनार्थ।
 2. महा निदेशक, खान सुरक्षा, महानिदेशालय, पो. धनबाद, जिला-धनबाद, झारखण्ड, पिन-826001.
 3. संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, मध्यप्रदेश, भोपाल।
 4. कलेक्टर, जिला - ~~शहडोल~~ (म0प्र0)।
 5. मेसर्स साऊथ ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड, सोहागपुर एरिया, पो.आ. धनपुरी, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश।
- की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
6. गार्ड फाईल।

अवर सचिव

म0प्र0 शासन, खनिज साधन विभाग